वजीर राम सिंह, राजकीय महाविद्यालय देहरी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2015

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य द्वारा महाविद्यालय में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया गया।

क्रम संख्या	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री अशोक शर्मा	1.5.2012 से 31.5.2013
2	श्रीमती किरण कान्ता	1.6.2013 से 15.7.2013
3	श्री के0सी0 शर्मा	16.7.2013 से 31.7.2013
4	श्रीमती किरण कान्ता	1.8.2013 से 28.3.2014
5	श्री पुष्पिन्दर चौहान	1.3.2014 से 25.7.2014
6	श्री आशिथ कुमार मिश्रा	26.6.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रम संख्या	विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	सवधि जमा में निवेशित राशि तथा उन पर अर्जित ब्याज को विभिन्न निधियों में सम्मिलित न करने बारे	4(ख)	विवरण पैरे में दिया गया है।
2	सावधि जमा पर कम ब्याज क्रैडिट करने बारे	5(ख)	0.63
3	विभिन्न निधियों से अनियमित व्यय करना	14	0.68
4	मिश्रित निधि से अधिक भुगतान करना	17	0.52
5	एन0एस0एस0 गतिविधि हेतु जारी ऋण की प्रतिपूर्ति न करना	19	0.36

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष लम्बित पैरों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कोई विशेष कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनुच्छेदों पर वांछित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा पैरों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करवाया जाए। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–"A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

महाविद्यालय के अवधि 4/2013 से 3/2015 के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 7.09.2015 से 30.09.2015 तक के दौरान महाविद्यालय के कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/2013 व 7/2014 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/2014 व 9/2014 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

महाविद्यालय के अवधि 4/2013 से 3/2015 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरणानुसार ₹16,000 बनता है।

वर्ष	निधियों से आय	अंकेक्षण शुल्क
2013–14	36,22,142	8,000
2014–15	57,70,942	8,000
	जोड़	**₹16,000**

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 द्वारा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 172, दिनांक 18.9.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा इस राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्याः 590074, दिनांक 29.09.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) राजकीय महाविद्यालय देहरी द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा **परिशिष्ट–"क"** पर संलग्न है।

(ख) महाविद्यालय द्वारा **परिशिष्ट–"क"** में वणि्त विभिन्न निधियों से सम्बन्धित सावधि जमा योजना में निवेशित ₹89,82,415 को वित्तीय स्थिति के अन्तशेश में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के **पैरा–4(ख)** में भी आपत्ति उठाई गई थी। अतः **परिशिष्ट–"क"** के अनुसार वित्तीय स्थिति में विभिन्न निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को सम्मिलित न करने तथा इन सावधि योजना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान अर्जित ब्याज की राशियों को विभिन्न निधियों में सम्मिलित न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इन प्रकरणों मे अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त भविष्य में भी सावधि जमा मे निवेशित राशियों उनसे अर्जित ब्याज को विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति में भी सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए।

5 निवेश

(क) महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्र निधियों से दिनांक 31.3.2015 तक ₹89,82,415 सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी, जिसका विवरण **परिशिश्ट–"ख"** पर दिया गया है।

(ख) सावधि जमा पर ₹62,820 का ब्याज कम क्रैडिट करने बारे

निवेश से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि एस0बी0आई0 भरमाड द्वारा सावधि जमा पर ₹62,820 का ब्याज कम दिया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

दिनांक	एफ0डी0आर0 नम्बर	राशि	दर	अवधि	परिपक्वता पर अपेक्षित ब्याज	बैंक द्वारा दिया गया ब्याज	कम ब्याज
4.3.11	31655692676	7,46,066	9.5%	4 वर्श	2,88,210	2,25,390	62,820

अतः उपरोक्त ब्याज की राशि की वसूली सम्बन्धित बैंक से चक्रवृद्धि ब्याज सहित की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ की जाँच करने पर पाया गया कि जब भी रोकड़ बही मे कोई गलती हो जाती है अथवा किसी मद का गलत इन्द्राज हो जाता है तो महाविद्यालय द्वारा उसे काट कर एवं ठीक करके मद को पुनः लिखने के स्थान पर गलत इन्द्राज के उपर ही फ्लूड लगा कर उसे ठीक कर दिया जाता है, जो कि अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में यह भी पाया गया कि प्रत्यंक माह के अन्त मे कोई मासिक विवरण भी नहीं दिया गया है। रोकड़ बही में पाई गई उक्त अनियमितताओं को प्रधानाचार्य के साथ चर्चा के दौरान ध्यान में लाया गया था तथा उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक ढंग से तैयार करने का आश्वासन दिया।

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी रोकड़ बही में किसी इन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर तथा नई प्रविष्टि को पुनः लिखकर इसे सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

7 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

जाँच के दौरान छात्रों से फीस वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्रयोग की गई रसीद बुकों शेष रसीद बुकों की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

8 जुर्माना निधि की ₹4,415 को जमा न करने बारे

अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया की माह 3/2015 में छात्रों से रसीद संख्याः 1431 से 1638 के अन्तर्गत जुर्माना निधि के रूप में ₹4,415 की वसूली गई, परन्तु उक्त राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही बैंक में जमा किया गया, जोकि एक गम्भीर मामला है। ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाने पर महाविद्यालय द्वारा उक्त राशि को रसीद संख्याः 6684, दिनांक 28.9.15 द्वारा ऑडिट के दौरान जमा कर दिया गया, जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

9 जुर्माना निधि की ₹7,048 की कम वसूली करने बारे

हाजरी रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 मे निम्न विवरणानुसार जुर्माना की ₹7,048 की कम वसूली की गई थी।

क्रम संख्या	विषय का नाम	समेस्टर/सत्र	वसूली योग्य जुर्माना राशि	वसूली गई जुर्माना राशि	कम वसूली
1	इंग्लिश मेजर	1^{st} व 2^{nd}	948	516	432
2	इंग्लिश माईनर	1^{st} व 2^{nd}	952	572	380
3	हिन्दी मेजर	1^{st} व 2^{nd}	896	526	370
4	हिन्दी माईनर	1^{st} व 2^{nd}	913	556	357
5	संस्कृत मेजर	1^{st} व 2^{nd}	904	522	382

6	संस्कृत माईनर	1^{st} व 2^{nd}	931	579	352
7	इतिहास मेजर	1^{st} व 2^{nd}	803	440	363
8	इतिहास माईनर	1^{st} व 2^{nd}	748	501	274
9	राजनितिक शास्त्र मेजर	1^{st} व 2^{nd}	779	380	399
10	राजनितिक शास्त्र माईनर	1^{st} व 2^{nd}	608	253	355
11	अर्थशास्त्र मेजर	1^{st} व 2^{nd}	742	370	372
12	अर्थशास्त्र माईनर	1^{st} व 2^{nd}	688	386	302
13	बोटनी	1^{st} व 2^{nd}	408	212	196
14	जीव विज्ञान	1^{st} व 2^{nd}	531	208	323
15	रसायन विज्ञान	1^{st} व 2^{nd}	832	508	324
16	फिजिक्स	1^{st} व 2^{nd}	751	405	346
17	गणित	1^{st} व 2^{nd}	688	341	347
18	कॉमर्स	1^{st} व 2^{nd}	896	516	380
19	संगीत	1^{st} व 2^{nd}	423	242	181
20	शारिरिक शिक्षा	1^{st} व 2^{nd}	998	358	640
				कुल जोड़	**7048**

ऑडिट द्वारा आपति उठाने पर महाविद्यालय द्वारा उक्त ₹7048 की वसूली रसीद संख्याः 6684, दिनांक 28.9.15 द्वारा अकेक्षण के दौरान ही करके जमा कर दी गई है, जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जुर्माना राशि की वसूली की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जाए तथा इस प्रकार की त्रुटियाँ न दोहराई जाएं।

10 मैसर्ज शुवम कम्पयूटर प्रिंटिंग प्रेस द्वारा पत्रिकाओं की आपूर्ति देरी से करने पर भी उनसे नियमानुसार दण्ड शुल्क की ₹6259 की वसूली न करना

महाविद्यालय द्वारा पत्रिकाओं की छपवाई के लिए पत्रिका निधि से वाऊचर संख्याः 8, दिनांक 8.5.2013 के अन्तर्गत ₹62,590 का भुगतान उक्त फर्म को उनके बिल संख्याः 101, दिनांक शुन्य के एवज़ में चैक संख्याः 488257, दिनांक 8.5.13 द्वारा किया गया। महाविद्यालय द्वारा फर्म को आपूर्ति आदेश संख्याः ई0डी0एन0(सी)जी0सी0डी0 2012, दिनांक 21.12.12 को दिया गया था तथा फर्म द्वारा पत्रिकाओं की आपूर्ति दिनांक 28.2.13 तक की जानी अपेक्षित थी, जबकि स्टॉक रजिस्टर के पृश्ठ 68 के क्रम संख्याः 2 के अनुसार फर्म द्वारा पत्रिकाओं की आपूर्ति दिनांक 8.5.13 को की गई। नोटिस इनवाईटिंग कुटेशनों की शर्त नम्बर 3 के अनुसार अगर फर्म द्वारा नियत तिथि के पश्चात दो सप्ताह तक पत्रिकाओं की आपूर्ति नहीं की जाती है

तो फर्म से कुल मूल्य का 10% यानि (62,590 x 10% = ₹6290) दण्ड शुल्क के रूप में वसूलना अपेक्षित था, ज़ोकि नहीं वसूला गया। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त ₹6290 की वसूली करके इसे पत्रिका निधि मे जमा किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

11 मैसर्ज शुवम कम्पयूटर प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रॉस्पेक्टस व पहचान पत्रों की आपूर्ति देरी से करने पर भी उनकी प्रतिभूति की ₹2000 जब्त न करना

महाविद्यालय द्वारा 2300 प्रॉस्पेक्टस व 2300 पहचान पत्रों की छपवाई के लिए मिश्रित निधि से वाऊचर संख्याः 21, माह 7/13 के अन्तर्गत मैसर्जत्रः शुभम कम्पयूटर प्रिटिंग प्रैस को उनके बिल संख्याः 133 व 134, दिनांक 27.6.2013 के एवज़ में चैक संख्याः 488269, दिनांक 25.7.2013 द्वारा ₹56,925 का भुगतान किया गया। महाविद्यालय द्वारा फर्म को आपूर्ति आदेश संख्याः 2495, दिनांक 7.5.2013 को दिया गया था तथा फर्म द्वारा आपूर्ति दिनांक 10.6.13 तक की जानी अपेक्षित थी, जबकि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 91 के क्रम संख्याः 1 के अनुसार फर्म द्वारा उक्त सामान की आपूर्ति दिनांक 27.6.13 को की गई। नोटिस इनवाईटिंग कुटेशनों की शर्त नम्बर 7 के अनुसार यदि फर्म द्वारा नियत तिथि तक प्रॉस्पैक्टस व पहचान पत्रों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो उनके द्वारा जमा करवाई गई जमानत की ₹2000 जब्त करनी अपेक्षित थी, जोकि नहीं की गई। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा जमानत की ₹2000 की वसूली करके इसे मिश्रित निधि मे जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में प्रिंटिंग से सम्बन्धित भुगतानों को आपूर्ति आदेशों व नोटिस इनवाईटिंग कुटेशनों में वर्णित शर्तों के अनुसार ही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

12 स्टॉक रजिस्टर में 20 स्टूडेंट माइक्रोस्कोप कम दर्शाने बारे

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्याः 11, दिनांक 8.5.14 के अन्तर्गत मैं0 ज्योति इलैक्ट्रॉनिक्स अम्बाला को उनके बिल संख्याः 14–8, दिनांक 21.4.14 के एवज़ मे जीव विज्ञान का सामान खरीदने हेतु ₹1,39,568 का भुगतान किया गया है। उक्त खरीद के अन्तर्गत 10 स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के लिए ₹43,750 का भुगतान भी सम्मिलित था। उक्त सामान के स्टॉक रजिस्टर के पृश्ठ 1 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त खरीद के पश्चात स्टॉक रजिस्टर में 10 माईक्रोस्कोप शेष दर्शाए गए हैं, जबकि स्टॉक की वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

दिनांक 26.4.2012 को शेष	:	30
दिनांक 26.4.12 को नीलाम किए गए माईक्रोस्कोप	:	10
शेश	:	20

दिनांक 21.4.14 को नए खरीदे गए माईक्रोस्कोप	:	10
शेश	:	30

इस प्रकार 21.4.14 को कुल 30 माईक्रोस्कोप स्टॉक में होने अपेक्षित थे, जबकि केवल 10 माईक्रोस्कोप दर्शाए गए थे जो कि एक गम्भीर मामला है। ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाने पर प्रधानाचार्य द्वारा उक्त स्टॉक की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाकर उनकी सही संख्याः 30 कर दी गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में स्टॉक का इन्द्राज सही प्रकार से किया जाए तथा इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

13 स्टॉक में दर्शाई गई मात्रा से 19 प्लेइंग किट अधिक वितरित करने बारे

महाविद्यालय द्वारा मैं0 पी0 रामचन्द्र एण्ड कम्पनी जलन्धर को उनके बिल संख्याः 370, दिनांक 30.10.13 के एवज़ में खेल के सामान की आपूर्ति हेतु वाऊचर संख्याः 154, दिनांक 29.3.2014 के अन्तर्गत ₹1,33,000 का भुगतान किया गया। बिल के अन्तर्गत 60 प्लेइंग किट ₹21,000 की उक्त फर्म से खरीदी गई तथा स्टॉक रजिस्टर के पृश्ठ 88 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त खरीद से पहले 6 प्लेइंग किट बकाया थी। अतः उक्त खरीद के पश्चात कुल 66 प्लेइंग किट स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई है, परन्तु महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार खिलाड़ियों को 85 प्लेइंग किट का वितरण किया गया है। इस प्रकार स्टॉक में कुल 66 प्लेइंग किट थी तो 85 प्लेइंग किट यानि 19 प्लेइंग किट कहाँ से अधिक वितरित की गई, इसका औचित्य स्पश्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

वितरण रजिस्टर का पृष्ठ संख्या	खेल का नाम	वितरित की गई प्लेइंग किट की संख्या
105	कुश्ती	6
106	क्रिकेट	15
107	बेडमिनटन	10
108	हैण्डबॉल	22
109	वोलीवॉल	17
110	भारतोलन	8
111	एथलेटिक्स	7
	कुल जोड़	**85**

14 विभिन्न निधियों से ₹65,278 का अनियमित व्यय करना

(क) हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी आर्डिनेंस अमेनडेड सितम्बर 2002–XLII के अनुसार निम्नलिखित व्यय उक्त निधि पर उचित वैध प्रभार नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति

लेने के उपरान्त इस व्यय को नियमित करवाया जाए अथवा इसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके इसे निम्न निधि में जमा किया जाए।

निधि का नाम	फर्म का नाम	विवरण	व0सं0	माह	राशि
पुस्तकालय निधि	मैं0 मुनीश कम्पयूटर जवाली	एक कम्पयूटर	8	3/14	49,690
मिश्रित निधि	एक मिस्त्री व एक मजदूर	14 दिन की मजदूरी	126	3/14	7,588
मिश्रित निधि	मैं0 एस0डी0 इंटरप्राइजेज रेहन	25 बैग सीमेन्ट	143	3/14	8,000

(ख) महाविद्यालय द्वारा वार्शिक पारितोशिक वितरण के दौरान मुख्य अतिथि को ठहराने, ब्रेक फास्ट, लंच व डिनर हेतु मिश्रित निधि से वाऊचर संख्याः 130, माह 3/14 के अन्तर्गत मैं0 चामुण्डा रेस्टोरेन्ट रेहन को उनके बिल संख्याः 665, दिनांक 10.3.14 के एवज़ में ₹3100 का भुगतान किया गया, जोकि इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाने पर उक्त ₹3100 की वसूली रसीद संख्याः 6683, दिनांक 28.9.15 के अन्तर्गत उक्त निधि में जमा करवा दी गई है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

15 437 ममेनटों के वितरण हेतु वितरण सूची उपलब्ध न करवाने बारे

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्याः 125, माह 3/14 के अन्तर्गत मैं0 गांधी मेटल क्राफ्ट पठानकोट से 437 ममेनटो की खरीद हेतु उनके बिल संख्याः 465, दिनांक 10.3.14 के एवज़ में ₹90,625 का भुगतान किया गया, परन्तु उक्त 437 ममेनटो के वितरण हेतु वितरण सूची को अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में ममेनटो के वितरण व बकाया ममेनटो की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नही की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना हेतु वांछित अभिलेख आगामी ऑडिट में प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जायें।

16 अनुचित रूप से ₹7315 के विक्रय कर का भुगतान करने बारे

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्याः 106, माह 3/15 के अन्तर्गत मैं0 ए0एच0आर0 मेनुफेक्चरर नूरपुर को 55 बेन्चों की मुरम्मत हेतु उनके बिल संख्याः 395, दिनांक 30.1.15 के एवज़ में ₹60,575 का भुगतान किया गया। इस भुगतान से सम्बन्धित कुटेशनों की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मों द्वारा दरें विक्रय कर के साथ दर्शाई गई थी, जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में विक्रय करके ₹7315 की अलग से चार्ज किया गया, जो कि अनुचित था।

ऑडिट द्वारा आपति उठाने पर उक्त ₹7315 की वसूली की रसीद संख्याः 6686, दिनांक 29.9.15 द्वारा जमा करवा दी गई, जिसके जमा की पुश्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

17 मिश्रित निधि से ₹51,700 का अधिक भुगतान करना

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्याः 43, माह 9/14 के अन्तर्गत मिश्रित निधि से हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन शिमला को ₹2,75,850 का भुगतान चैक संख्याः 228011, दिनांक 10.9.14 द्वारा किया गया, जबकि उक्त फर्म द्वारा निम्नानुसार केवल ₹2,24,150 के बिल ही प्रस्तुत किए गए।

विवरण	बिल संख्या	दिनांक	राशि
5 यू0पी0एस	34405	11.2.14	27,500
5 कम्पयूटर	34445	26.12.14	1,96,650
		कुल जोड़	**₹2,24,150**

इस प्रकार उक्त संस्था को (₹2,75,850 - ₹2,24,150 = ₹51,700) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः ₹51,700 के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त संस्था से ₹51,700 की वसूली करके इसे मिश्रित निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

18 निविदाओं को पूल करने बारे

निम्नलिखित बिल/वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि इनके अन्तर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष नम्बर एक ही है :–

पुस्तकालय निधि :– वाऊचर संख्याः 5, माह 11/14, मैं0 नरिन्दर बुक स्टाल मण्डी, बिल संख्या 2201 से 2219, ₹1,79,262 (पुस्तकालय हेतु किताबें)

(1) मैं0 नरिन्दर बुक स्टाल मण्डी : 98054–71400
(2) मैं0 सुरेश न्यूज़ एजैंसी मण्डी : 98054–71400
(3) मैं0 मल्होत्रा स्टेशनरी मण्डी : 98166–76901

उक्त विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को पूल किया गया है जिसके कारण उक्त खरीदों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकरण में किस प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया

गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के उपरान्त नियमित करवाया जाए।

19 एन0एस0एस0 गतिविधि हेतु जारी ऋण की राशि में से ₹36,000 की प्रतिपूर्ति न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान एन0एस0एस0 गतिविधियों के लिए ₹45,000 ऋण के रूप में मिश्रित निधि से जारी की गई थी, जबकि पिछले ऋण की बकाया ₹3,000 भी शेश थी। इस प्रकार कुल ₹48,000 ऋण के रूप में जारी की गई थी। इस राशि में से अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल ₹12,000 की प्रतिपूर्ति कर ली गई थी तथा दिनांक 31.3.15 तक निम्न विवरणानुसार ऋण की बकाया ₹36,000 की वसूली की जानी अपेक्षित थी, जिसे शीघ्र वसूल करके उक्त निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

यूनिट– I	**(i)**	श्री विनोद कुमार (प्रवक्ता) को जारी उक्त ऋण की पिछली बकाया राशि	1500	
		वर्तमान अंकेक्षण अवधि में जारी ऋण की राशि (+)	7500	**9000**
	(ii)	श्री हरकमल सिंह (प्रवक्ता) को वर्तमान अंकेक्षण अवधि में जारी ऋण की राशि	15000	
		दिनांक 31.3.15 तक जमा राशि (–)	6000	**9000**
यूनिट–II	**(iii)**	श्री मंजीत सिंह (प्रवक्ता) को जारी उक्त ऋण की पिछली बकाया राशि	1500	
		वर्तमान अंकेक्षण अवधि में जारी ऋण की राशि (+)	22500	
		दिनांक 31.3.15 तक जमा राशि (–)	6000	**18000**
		कुल बकाया ऋण की राशि		**36000**

20 अखबार की रद्दी की नीलामी न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय निधि से निम्नविवरणानुसार सात प्रकार अखबारों की खरीद दैनिक रूप से क्रय की गई है, परन्तु अखबार रद्दी की नीलामी पांच वर्षों में एक बार भी नहीं की गई है। अतः अखबार रद्दी की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब अखबार की रद्दी की नीलामी शीघ्र करके इससे प्राप्त आय को पुस्तकालय निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम	बिल संख्या	माह	राशि
मैं0 शर्मा बुक डिपो देहरी	1275	2/14	700

मैं0 शर्मा बुक डिपो देहरी	1121	3/14	201
मैं0 शर्मा बुक डिपो देहरी	1122	3/14	626

21 स्टॉक प्रविष्टि न दर्शाने बारे

जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न निधियों में निम्न लिखित सामान खरीदा गया, परन्तु खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में अंकेक्षण में इस खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक प्रविष्टियों को न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब अपेक्षित प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में किया जाए अन्यथा इस खरीद हेतु भुगतान की गई ₹3,06,630 को उचित स्त्रोत से वसूल कर इसे सम्बन्धित निधियों में जमा करवाया जाए।

निधि का नाम	फर्म का नाम	विवरण	वा0 सं0	माह	राशि
सांस्कृतिक गतिविधि निधि	मैं0 अमृत लाल एंड संन्ज	6 साड़ी	134	3/14	10,500
मिश्रित निधि	मैं0 हि0प्र0 स्टेट हैंडीक्राफ्ट लिमिटेड	80 डेस्क, 19 स्टूल, 3 लैक्चर स्टैंड, 2 स्टील अलमारी	01	8/14	2,96,130

22 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण के दौरान अग्रिम रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया, जिसके अभाव में अग्रिम कब–कब दिया गया तथा कितना–कितना अग्रिम दिया गया तथा किस–किस प्रयोजन पर कितना–कितना व्यय अग्रिम से किया तथा कितनी राशि बची, इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अग्रिम रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

23 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में महाविद्यालय द्वारा छात्र कल्याण निधि खाते से क्रय किए गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (फिजीकल वैरिफिकेशन) कभी नही करवाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों के अनुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े

सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवा कर भविष्यमें वार्षिक सत्यापना करनी सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

24 लघु आपति विवरणिका :– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

25 निष्कर्ष :– महाविद्यालय के लेखों के रख–रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृश्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(xi)(ii)380/84–खण्ड–4–1284–1286 दिनांकः23.02.2016 शिमला–09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1) प्रधानाचार्य, वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2) निदेशक, शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
3) विशेष सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिश्ट–"A" **पैरा संख्याः (iv) से सन्दर्भित**

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1996

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5(क)(4)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(क)(5)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(क)(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(क)(7)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(क)(8)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(क)(9)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(क)(10)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(क)(11)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(क)(12)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(क)(13)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(ख)(1)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(ख)(2)	अनिर्णीत
14	पैरा 5(ख)(3)	अनिर्णीत
15	पैरा 5(ख)(4)	अनिर्णीत
16	पैरा 5(ख)(5)	अनिर्णीत
17	पैरा 5(ख)(8)	अनिर्णीत
18	पैरा 5(ख)(11)	अनिर्णीत
19	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
20	पैरा 6	अनिर्णीत
21	पैरा 7	अनिर्णीत
22	पैरा 8	अनिर्णीत
23	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
24	पैरा 9(छ)	अनिर्णीत
25	पैरा 9(ज)	अनिर्णीत
26	पैरा 9(ढ)	अनिर्णीत
27	पैरा 9(ड़)	अनिर्णीत
28	पैरा 9(त)(1)	अनिर्णीत

29	पैरा 9(त)(2)	अनिर्णीत
30	पैरा 9(द)	अनिर्णीत
31	पैरा 9(न)	अनिर्णीत
32	पैरा 9(ब)	अनिर्णीत
33	पैरा 9(भ)	अनिर्णीत
34	पैरा 9(म)	अनिर्णीत
35	पैरा 9(य)	अनिर्णीत
36	पैरा 9(ल)	अनिर्णीत
37	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
38	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
39	पैरा 11(क)	अनिर्णीत
40	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
41	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत
42	पैरा 11(घ)	अनिर्णीत
43	पैरा 11(ड़)	अनिर्णीत
44	पैरा 11(च)	अनिर्णीत
45	पैरा 11(छ)	अनिर्णीत
46	पैरा 11(ज)	अनिर्णीत
47	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
48	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
49	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
50	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत
51	पैरा 12(ड़)	अनिर्णीत
52	पैरा 13	अनिर्णीत
53	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
54	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत
55	पैरा 14(ग)	अनिर्णीत
56	पैरा 14(घ)	अनिर्णीत
57	पैरा 14(ड़)	अनिर्णीत
58	पैरा 14(च)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2000

1	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(डी)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(जी)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(एच)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(आई)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(जे)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(के)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(एल)	अनिर्णीत
11	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
12	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
13	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
14	पैरा 8(सी)	अनिर्णीत
15	पैरा 8(डी)	अनिर्णीत
16	पैरा 8(ई)	अनिर्णीत
17	पैरा 8(एफ)	अनिर्णीत
18	पैरा 8(जी)	अनिर्णीत
19	पैरा 8(एच)	अनिर्णीत
20	पैरा 8(आई)	अनिर्णीत
21	पैरा 8(जें)	अनिर्णीत
22	पैरा 8(के)	अनिर्णीत
23	पैरा 9	अनिर्णीत
24	पैरा 10	अनिर्णीत
25	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
26	पैरा 12	अनिर्णीत
27	पैरा 13	अनिर्णीत
28	पैरा 14	अनिर्णीत
29	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(2)	अनिर्णीत

31	पैरा 16	अनिर्णीत
32	पैरा 17	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2003

1	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(घ)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(ड़)	आंशिक रुप (क्रम संख्याः 1, 3, 4, 7, 10, 11 से निर्णीत समायोजित)
5	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2006

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(ड़)	अनिर्णीत
11	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
15	पैरा 11	अनिर्णीत

16	पैरा 12	अनिर्णीत	
17	पैरा 13	अनिर्णीत	
18	पैरा 16	अनिर्णीत	
19	पैरा 17(क)	अनिर्णीत	
20	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 18	अनिर्णीत	
22	पैरा 19	अनिर्णीत	
23	पैरा 26	अनिर्णीत	
24	पैरा 27	अनिर्णीत	
25	पैरा 28	अनिर्णीत	
26	पैरा 29	अनिर्णीत	
27	पैरा 30	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2010

1	पैरा 4(1)(2)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5	अनिर्णीत	
3	पैरा 11	अनिर्णीत	
4	पैरा 12	अनिर्णीत	
5	पैरा 15	अनिर्णीत	
6	पैरा 18	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने के दृष्टिगत)
2	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 6	आंशिक निर्णीत	(₹37000 की वसूली रोकड़ बही के पृश्ठ–15 व 16, दिनांक 1.3.14 पर कर ली गई है)
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	

9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
11	पैरा 13	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
12	पैरा 14	निर्णीत	(वसूली रसीद संख्याः 52967, दिनांक 17.11.14 कर ली है)
13	पैरा 15	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	147
वर्तमान अकेक्षण के दौरान लगभग किए गए पैरे	(+) 21
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णित किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरे	(–) 5
अन्तशेश (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015 तक) अनिर्णीत पैरे	163